राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता/ओआईसी का नाम
1.	42/2020 रामस्वरूप वर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर। 3. महानिरीक्षक, सी.आई.डी. सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर (अध्यक्ष चयन बोर्ड), जयपुर। 4. पुलिस अधीक्षक, खुफिया (आसूचना), राजस्थान जयपुर एवं सदस्य सचिव, चयन बोर्ड, जयपुर। 5. ओम प्रकाश पुत्र श्री बाबूलाल, वर्तमान में कांस्टेबल नं. 830 के पद पर आई.बी. जोन, अजमेर में कार्यरत। 6. मनोज कुमार पुत्र श्री हनुमाना राम, वर्तमान में कांस्टेबल नं. 1022 के पद पर आई.बी. जोन, उदयपुर में कार्यरत।	06.01.2020	डॉ. ए.एस.खंगरोत एवं पूनम कंवर राठौड़ अभिभाषक एवं श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता, श्री महेन्द्र कुमार भगत, ओआईसी
2.	43/2020 मनीराम	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 5. अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री गणेशी लाल, वर्तमान में कांस्टेबल नं. 864 के पद पर विशेष शाखा वर्तमान में संलग्न आईटीए जयपुर में कार्यरत। 6. राम सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, वर्तमान में कांस्टेबल नं. 875 के पद पर आई.बी. जोन, जयपुर ग्रामीण में कार्यरत।		

आदेश की दिनांक : 05.11.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः उक्त दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 42/2020 रामस्वरूप वर्मा बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 18.11.2019 एवं 23.12.2019 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध अनुसूचित जाति वर्ग से हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर दिनांक 28.03.1995 को अनुसूचित जाति वर्ग से हुई थी और अपीलार्थी निरंतर संतोषजनक सेवायें दे रहा है। विज्ञप्ति दिनांक 30.10.2019 प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी की गई, जिसमें 80 हैड कांस्टेबल के रिक्त पद दर्शाये गये, जिसमें आई.बी. रेंज के अंतर्गत 11 एससी, 13 एसटी एवं 56 सामान्य वर्ग के रिक्त पद दर्शाये गये और योग्यात्मक परीक्षा के लिये चयन बोर्ड गठित किया गया तथा उक्त रिक्त पद हेतु आवेदन मांगे गये। अपीलार्थी हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य होने पर आवेदन किया और अपीलार्थी ने भाग लिया तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 66 पर एवं वरिष्ठता क्रमांक 231 दर्शाया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम क्रम संख्या 101 पर दर्शाया गया, जिसकी नियुक्ति दिनांक 08.04.1995 को हुई थी और उसकी वरिष्ठता 276 थी। इसी प्रकार निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 जिसकी वरिष्ठता 296 दर्शायी गई। अपीलार्थी ने दिनांक 24.11.2019 को परीक्षा में भाग लिया तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 26.11.2019 को चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई और उन्हें दिनांक 28.11.2019 को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 52 पर अंकित किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 का नाम सूची में अंकित नहीं हुआ। परंतु रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा हैड कांस्टेबल की रिव्यू डीपीसी आयोजित की गई और उक्त अनुशंषा के आधार पर चयन अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 18.11.2019 को जारी की गई, जिसमें 5 अभ्यर्थी पदोन्नति हेतु चयनित हुये। जबकि वह अपीलार्थी से कनिष्ठ थे और पीसीसी के लिये क्वालिफाईड नहीं थे। उनका चयन सूची आदेश दिनांक 28.11.2019 में नाम अंकित है। उनका चयन हुआ परंतु अपीलार्थी का चयन नहीं

किया गया और इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 का चयन रिव्यू डीपीसी में किया गया है, परंतु अपीलार्थी को वंचित रखा गया। जबकि अपीलार्थी उक्त दोनो कार्मिकों से वरिष्ठ है। दिनांक 23.12.2019 को अंतिम चयन सूची पीसीसी के लिये जारी की गई और उन्हें दिनांक 08.01.2020 को प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 अपीलार्थी से बहुत कनिष्ठ हैं फिर भी उनका नाम पदोन्नति हेतु चयन किया गया। उनका कथन है कि उक्त मामले के समान फुआराम, आसाराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में अधिकरण ने दिनांक 19.12.2019 को अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग का एक रिक्त पद सुरक्षित रखे जाने का आदेश दिया है। अपीलार्थी भी उसी तरह का फायदा पाने का हकदार है और अपीलार्थी उक्त मामले से व्यथित होकर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 18.11.2019 एवं 23.12.2019 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध अनुसूचित जाति वर्ग से हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशों की पालना में अनेको रिट याचिकाएं आदेश दिनांक 11.05.2015 एवं 13.11.2019 के विरूद्ध की गई हैं और रिक्ति वर्ष 2011–12 से 2013–14 के विरूद्ध पदोन्नतियों पर पुनर्विचार किये जाने का निर्देश दिया गया है और पुनर्विचार जो हैड कांस्टेबल की कुल 80 रिक्तियों के विरूद्ध किया जा चुका है। संशोधित विज्ञप्ति 76 पदों के लिये जारी की गई थी तथा उक्त पदों के लिये परीक्षा आयोजित की गई, जिसके क्रम में वरिष्ठता सूची जारी की गई। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 एवं 6 श्री ओमप्रकाश एवं मनोज कुमार उन्होंने योग्यात्मक परीक्षा में भाग लिया, वे पूर्ण रूप से सफल घोषित हुये, परंतु चयनित सूची में उनका अंतिम होने से रह गया और इस कारण वे कनिष्ठ थे जबकि ये अभ्यर्थी चयनित हुये और जिन्हें वर्ष 2013–14 के लिये पीसीसी हेतु भेजा गया। परंतु अपीलार्थी उक्त परीक्षा में वर्ष 2012–13 के लिये सफल घोषित नहीं हुआ, जिसके कारण उसका नाम चयन सूची में अंकित नहीं किया जा सका। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के पद पर आईबी रेंज के 80 रिक्त पदों (एससी–11, एसटी–13 एवं जनरल–56) पर पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा का आयोजन हेतु चयन बोर्ड का गठन कर आवेदन आमंत्रित किया गया (अनुलग्नक–1)। बाद में पदों की संख्या 80 से घटाकर दिनांक 18.11.2019 द्वारा 76 (एससी–9, एसटी–13 एवं जनरल–54) कर दी गई। इस पदोन्नति की योग्यात्मक परीक्षा हेतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा योग्य अभ्यर्थियों की जारी सूचि में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 66 (वरिष्ठता क्रमांक 231) एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 ओम प्रकाश का नाम क्रम संख्या 101 (वरिष्ठता क्रमांक 276) और निजी प्रत्यर्थी संख्या–6 मनोज कुमार (वरिष्ठता क्रमांक 296) पर अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 व 6 से वरिष्ठ है। लिखित परीक्षा में सफल घोषित होने पर सफल उम्मीदवारों की सूचि दिनांक 26.11.2019 को जारी कर आउटडोर परीक्षा और साक्षात्कार के लिए कार्यवाही की गई। लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की सूचि में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 52 पर अंकित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के क्रम में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की सूचि वर्ष 2012–13 की डीपीसी को रिव्यू किया गया और रिव्यू के पश्चात जारी चयन सूचि दिनांक 18.11.2019 द्वारा जारी की गई है। जिसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 एवं 6 का नाम अंकित है और इन्हें चयन वर्ष 2013–14 आवंटित किया गया, जबकि रिव्यू डीपीसी वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के लिए की गई है। नियमानुसार विभागीय पदोन्नति समिति जिस वर्ष के लिए रिव्यू डीपीसी कर रही है, उसी वर्ष की रिक्तियों के लिए पदोन्नति की अभिषंशा करने हेतु सक्षम है। इसलिए आदेश दिनांक 18.11.2019 में जिन पांच कार्मिकों को वर्ष 2012–13 की रिव्यू डीपीसी में विचार कर वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया गया है। जो प्रथम दृष्टव्या नियमानुकूल नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब के साथ रिव्यू डीपीसी का कार्यवाही विवरण लगाया गया है (अनुलग्नक–आर/2) पर उपलब्ध है, उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2012–13 में संशोधित रिक्त पदों की संख्या

54 (एससी–0, एसटी–10 एवं जनरल–44) थी और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा कुल 66 लोगों को वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में पदोन्नति हेतु पात्र पाया गया। जिसमें 10 कार्मिक वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु अभिषंशा की गई और कुल 48 कार्मिकों को वर्ष 2012–13 की 54 रिक्तियों (एससी–0, एसटी–10 एवं सामान्य–44) के विरूद्ध पदोन्नति हेतु अभिषंशा की गई है। जिसमें सामान्य के 44, एससी के 1, एसटी के 4 कार्मिक है। शेष पद एसटी के कार्मिक उपलब्ध नहीं होने से रिक्त रहें हैं। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पांच कार्मिकों को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध इस आधार पर पदोन्नति की अभिषंशा की गई है (जिसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 व 6 भी शामिल है) कि इनके द्वारा पीसीसी सफलतापूर्ण उत्तीर्ण करने और आगामी पदों पर पदोन्नति करने के पश्चात रिव्यू डीपीसी प्रक्रिया की किन्हीं कारणों से चयन सूचि में नहीं आने की स्थिति में वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति की अभिशंषा की गई है। विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही विवरण का बिन्दु संख्या 11 इससे संबंधित है जो नीचे उद्धत किया जा रहा है:–

''पुलिस मुख्यालय की स्थापित नीति एवं परिपाटी रही है कि किसी वर्ष की पदोन्नति प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थी द्वारा पी.सी.सी. सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात यदि आगामी पद पर पदोन्नति प्राप्त कर ली है तो पश्चातवर्ती रिव्यू डीपीसी प्रक्रिया में किन्ही कारणों से चयन सूची पर नही आने की स्थिति में आगामी वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध चयन सूची पर लिया जाकर पदोन्नति प्रदान की जाती है। श्री प्रेमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल–400 द्वारा पूर्व में हैड कानि पद की पी.सी.सी. उत्तीर्ण करने एवं कार्यालय आदेश कमांक 11450 दि. 29.09.19 के द्वारा हैड कानि. पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने एवं पैरा 6 के क. सं. 58. 60, 61 एवं 62 पर अंकित सर्वश्री ओमप्रकाश–830 (एससी) जोन अजमेर, मनोज कुमार– 1022 (एससी) जोन उदयपुर, अनिल कुमार शर्मा–864 (सामान्य) विशा. जयपुर एवं श्री राम सिंह कानि. 875 (सामान्य) जोन जयपुर ग्रामीण के श्री प्रेमप्रकाश कानि. (सामान्य) से वरिष्ठ होने के फलस्वरूप उक्त अभ्यर्थियों को भी निम्नानुसार वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्व चयन सूची पर लिया जाकर पदोन्नति की अनुशंषा की जाती है :–

क्रंसं.	नाम	पिता का नाम	बैल्ट नं.	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	चयन वर्ष
1.	श्री ओम प्रकाश	श्री बाबूलाल	830	एससी	जोन अजमेर	2013–14
2.	श्री मनोज कुमार	श्री हनुमानाराम	1022	एससी	जोन उदयपुर	2013–14
3.	श्री अनिल कुमार शर्मा	श्री गणेशीलाल	864	सामान्य	वीसा जयपुर	2013–14
4.	श्री राम सिंह	श्री महेन्द्र सिंह	875	सामान्य	जोन जयपुर ग्रामीण	2013–14
5.	श्री प्रेम प्रकाश शर्मा	श्री मोहन लाल	400	सामान्य	वीसा जयपुर	2013–14

नोटः– एसटी वर्ग में 06 अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने से कुल–06 पद एसटी वर्ग के रिक्त रखे गये। एससी वर्ग के 02 एवं सामान्य वर्ग के 03 अधिक पद आगामी वर्ष 2013–14 में समायोजित किये जावेंगे।''

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं किया गया है कि जिससे यह स्पष्ट हो कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 को वर्ष 2012–13 में हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई हो और उनके द्वारा पीसीसी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति प्राप्त कर ली गई है। विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या–6 में उपलब्ध सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 को पूर्व की नियमित डीपीसी वर्ष 2012–13 में कोई पदोन्नति नहीं दी गई है क्योंकि नियमित डीपीसी में उनकों आवंटित वर्ष का कॉलम रिक्त है और रिव्यू डीपीसी की वर्ष 2012–13 में सामान्य वर्ग के स्वीकृत 44 पदों पर 44 कार्मिकों की पदोन्नति दिये जाने के पश्चात पद रिक्त नहीं होने पर आगामी वर्ष 2013–14 में पदोन्नति की अभिषंशा की गई है, जो नियमानुकूल नही है। क्योंकि पदोन्नति उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध ही संबंधित वर्ष में प्रदान की जाती है और प्रत्येक वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध कार्मिकों को योग्यात्मक परीक्षा द्वारा पदोन्नति हेतु निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ही पदोन्नति की कार्यवाही की जाती है। जारी आदेश दिनांक 18.11.2019 में अंकित नोट में भी यह स्पष्ट है कि चयन सूची में क्रम संख्या 41 एवं 49 से 52 पर अंकित कार्मिकों (निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 एवं 6 सहित) ने हैड कांस्टेबल पद की पीसीसी उत्तीर्ण नहीं की है। इन्हें पीसीसी उत्तीर्ण करने के उपरान्त हैड कानि. के पद पर पदोन्नति प्रदान की जायेगी। इस टिप्पणी से स्पष्ट है कि पदोन्नति समिति द्वारा इन 5 कार्मिकों की पदोन्नति के अभिशंषा हेतु किया गया आधार तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। इनका पूर्व में हैड

कांस्टेबल के पद पर कभी भी पदोन्नति नहीं हुई है यदि डपीसी में प्रेमप्रकाश शर्मा से वरिष्ठ होने के आधार पर इनकी पदोन्नति की अभिशंषा की है तो फिर अपीलार्थी भी वरिष्ठ है, उसके नाम पर भी विचार करना चाहिए था।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 द्वारा वर्ष 2013–14 की पदोन्नति हेतु आयोजित योग्यात्मक परीक्षा में उत्तीर्ण होना संबंधी कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। लिहाजा वर्ष 2013–14 में उनकों पदोन्नति दिये जाने की अभिशंषा किया जाना और इस आधार पर जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 18.11.2019 (अनुलग्नक–आर/3)। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 के हद तक नियमानुकूल नहीं हैं। जहां तक अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति दिये जाने का प्रश्न है यदि अपीलार्थी उक्त कार्यवाही के फलस्वरूप वर्ष 2013–14 की हैड कांस्टेबल की रिक्तियों के विरूद्ध चयनात्मक परीक्षा के परिणाम के अन्तर्गत योग्य पाया जाता है, तो वह पदोन्नति का अधिकारी है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध प्रदान की गई पदोन्नति नियमानुसार नहीं है। डीपीसी द्वारा रिक्त पदों से ज्यादा संख्या में कार्मिकों की पदोन्नति की अभिशंषा नहीं कर सकती एवं प्रत्येक चयन वर्ष में पदोन्नति हेतु निर्धारित प्रक्रिया के तहत योग्यात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। लिहाजा उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती हैं और निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 के हद तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.11.2019 द्वारा कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के पदों पर वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु चयन को अपास्त किया जाता है। उसके साथ ही इस आदेश के आधार पर जारी आदेश दिनांक 23.12.2019 जिसके द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 को पीसीसी हेतु नामांकित किया गया है, जो नियमानुकूल नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है। अपीलार्थीगण वर्ष 2013–14 में कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर उक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप चयनात्मक परीक्षा के अनुसार पदोन्नति हेतु पात्र पाये जाते हैं, तो उन्हें नियमानुसार पदोन्नति प्रदान की जावे।

मूल आदेश अपील संख्या 42/2020 रामस्वरूप वर्मा बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 43/2020 मनीराम में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य